

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्रीमती साखवा

बनाम

श्रीमान

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर

185/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
07/05/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती साखवा</p> <p>पत्नी श्री श्रीमान हरिजन (मर्त्य)</p> <p>निवासी- कुंभानगा तिमेशार तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम</p> <p>मानकपुरा (प.६० कुम्भपुरा) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 4, 5, 6, 7</p> <p>0.26, 0.46, 0.57, 0.94</p> <p>कुल कीता 3+1=04 कुल रकबा 2.2300 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम मानकपुरा (प.६० कुम्भपुरा तह. वस्ती) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 4, 5, 6, 7</p> <p>0.26 0.46 0.57 0.94</p> <p>कुल कीता 3+1=4 रकबा 2.23 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 2000=000 रुपये अक्षरे ६१ हजार रुपये प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p>(बिनु देवल)</p> <p>सहायक कमिश्नर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>